प्रेषक,　　　　　　　　　　संख्या/ 5010 / XXIV–3 / 2006 /2(115)/05

एस0 के0 माहेश्वरी,
सचिव,
उत्तरॉचल शासन

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तरॉचल, देहरादून ।

शिक्षा अनुभाग–3　　देहरादून　　दिनॉक 16 अक्टूबर,2006

विषय:　स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या नियोजन–4/30096/एस0सी0पी0/ 2006–07 दिनॉक 01–09–2006 एवं शासनादेश संख्या: 25/XXIV-3/2006 दिनॉक 25–1–2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत निम्नलिखित राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवनों के चालू निर्माण कार्यो हेतु कालम –3 पर उल्लिखित अनुमोदित लागत के सापेक्ष कालम– 4 पर पूर्व स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए कालम–5 पर अंकित विवरणानुसार देय अवशेष धनराशि के सापेक्ष 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की धनराशि को शासनादेश संख्या 233/ XXIV–3 / 2006 दिनॉक 27–4–2006 द्वारा प्रश्नगत योजना में आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 1135.00 लाख में से नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

(धनराशि लाख में)

विद्यालय का नाम, जनपद का नाम	निर्माण ऐजेन्सी का नाम	आगणन की अनुमोदित लागत	अबतक स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5
1– रा0इ0का0 ल्वेशाल, नैनीताल	उत्तरांचल पेयजल संस्थान विकास एवं निर्माण निगम नैनीताल	49.50	12.00	20.00
2– रा0उ0मा0वि0 पोखरी, नैनीताल	उत्तरांचल पेयजल संस्थान विकास एवं निर्माण निगम नैनीताल	51.47	12.00	20.00

7– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भलीभॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाए।

8– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।

9– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जानी वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाये।

10– यदि स्वीकृत राशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हो, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, स्वीकृति राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाय।

11– निर्माण की गुणवत्ता के लिए संबंधित निर्माण ऐजेन्सी उत्तरदायी होगीं

2– उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहॉ आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथासमय शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 4202– शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय –01– सामान्य शिक्षा–202– माध्यमिक शिक्षा– आयोजनागत– 02– अ0सू0जा0 के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान –0201–अ0सू0जा0बाहुल्य क्षेत्रों मे रा0हा0, इ0कालेजों के भवनहीन भवनों का निर्माण–24 –वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3– रा0उ0मा0वि0 गरजोली,नैनीताल	उत्तरांचल पेयजल संस्थान विकास एवं निर्माण निगम नैनीताल	43.31	12.00	20.00
4–रा0उ0मा0वि0 ऊँचाकोट,नैनीताल	उत्तरांचल पेयजल संस्थान विकास एवं निर्माण निगम नैनीताल	45.64	12.00	20.00
5– रा0उ0मा0वि0 गहना, नैनीताल	उत्तरांचल पेयजल संस्थान विकास एवं निर्माण निगम नैनीताल	49.00	12.00	20.00
	योग–	238.92	60.00	100.00

1– उल्लिखित विद्यालय अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों/ वार्डों में स्थित होने पर ही धनराशि को व्यय किया जायेगा।

2– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

3– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलि दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य व सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 1048/वि0अनु0-3/2006 दिनॉक 3-10-2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 के0 माहेश्वरी)
सचिव

संख्याः 500 (1)/XXIV-3/2006 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,उत्तरांचल, देहरादून।
2- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3- निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
5- आयुक्त, कुमायूँ मण्डल- नैनीताल ।
6- अपर सचिव, समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
7- मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल- नैनीताल ।
8- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय ।
9- जिलाधिकारी, नैनीताल
10- कोषाधिकारी, नैनीताल
11- जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल
12- वित्त विभाग /नियोजन प्रकोष्ठ।
13- कम्प्यूटर सेल(वित्त विभाग)
14- एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तरांचल, देहरादून।
15- संबंधित निर्माण ऐजेन्सी।
16 - गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव